अप्रैल 29, 2022 कार्यकारी आदेश 2022-12

<u>कार्यकारी आदेश 2022-12</u>
<u>(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 105)</u>

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 3,130,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 33,600 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, महामारी के दौरान कई वेरिएंट सामने आए हैं, जिनमें प्रत्येक अलग-अलग संचरण क्षमता और गंभीरता शामिल है; और,

जबकि, इस महामारी में भविष्य में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है, और साबित महामारी को रोकने वाले कार्य जैसे कि सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकना और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियाँ COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई हैं; और,

जबकि, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने K-12 सेटिंग्स सहित यूनिवर्सल इनडोर मास्किंग के लिए अपनी सिफारिश को हटाने के लिए 25 फरवरी, 2022 को संशोधित मार्गदर्शन जारी किया है; और,

जबकि, उस मार्गदर्शन ने COVID-19 से ग्रस्त अस्पताल में दाखिले, इनपेशेंट बेड की उपलब्धता और COVID-19 मामलों की संख्या के आधार पर सामुदायिक COVID-19 स्तरों का आकलन करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है; और,

जबकि, अब CDC का मार्गदर्शन केवल उन समुदायों में यूनिवर्सल मास्किंग की सिफारिश करता है जिनमें COVID-19 का स्तर अधिक है; और,

जबकि, CDC यह सलाह देना जारी रखता है कि कुछ सामुदायिक सेटिंग्स, जैसे कि स्कूल और उच्च-जोखिम वाली सामूहिक सेटिंग्स को उन सेटिंग की विशेषताओं के आधार पर और प्रकोप की स्थिति में रोकथाम की अतिरिक्त पड़ावों की आवश्यकता हो सकती है; और,

जबकि, राज्य के आदेश के बिना भी, K-12 स्कूल, चाइल्डकैअर सुविधाएँ, और अन्य सेटिंग्स सामुदायिक COVID-19 स्तर और सेटिंग की अन्य विशेषताओं के आधार पर लोगों द्वारा फेस मास्क पहनने की आवश्यकता का चयन कर सकती हैं; और,

जबकि, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवांसी, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक टीका प्राप्त नहीं कर सके हैं; तथा,

जबकि, कुछ नियोक्ताओं ने सामूहिक सौदेबाजी समझौतों में प्रवेश किया है, जिसके लिए अन्य शमन उपायों के अलावा, व्यक्तियों को कुछ सेटिंग्स में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता होती है; और,

जबकि, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि जो व्यक्ति प्रतिरक्षित हैं या गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम पर हैं, वे सार्वजनिक रूप से घर के अंदर एक अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क को पहनने पर विचार करें, जब समुदाय COVID-19 का स्तर अधिक होता है; और,

जबकि, CDC यह सिफारिश करना जारी रखता है कि लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट वाले लोग, या COVID-19 वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहनें; और,

जबकि, व्यक्ति स्वयं को या अपने इर्द-गिर्द के व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार के विरुद्ध संरक्षित करने के लिए मास्क पहन सकते हैं; और

जबकि, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 टीकाकरण के मामले में अप-टू-डेट नहीं हैं, या जो COVID-19 संक्रमण के 90 दिनों के भीतर हैं, वे COVID-19 से संपर्क के बाद कम-से-कम 5 दिनों के लिए घर पर ही रहते हुए संगरोध (क्वॉरंटीन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

जबकि, CDC मार्गदर्शन ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि जो व्यक्ति COVID-19 के परीक्षण में पॉज़िटिव आए हैं वे परीक्षण में पॉज़िटिव आने के बाद कम-से-कम 5 दिनों तक घर पर ही रहते हुए पृथकवास (आइसोलेशन) में रहें और दिन 10 तक मास्क पहनें; और,

जबकि, CDC ने यह अनुशंसा जारी रखी है कि यदि विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ़ में किसी भी संक्रामक रोग, जिसमें COVID-19 शामिल है, के संकेत हों तो वे घर पर ही रहें; और,

जबकि, स्कूलों को CDC मार्गदर्शन की अनुरूपता में यह ज्ञात/निर्धारित करने में अपने स्थानीय स्वास्थ्य विभागों का सहयोग जारी रखना चाहिए कि COVID-19 के परीक्षण में पॉज़िटिव आए या इसके संपर्क में आए किन विद्यार्थियों, अध्यापकों, और स्टाफ़ को स्कूल समुदाय के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए घर पर ही रहना चाहिए; और,

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्‌घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस की प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 33,300 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

जबकि, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; और,

जबकि, 29 अप्रैल 2022 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-09, 2020-12, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-50, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, 2022-06, और 2022-11, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 29 अप्रैल, 2022 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी करना।

सरकारी आदेश 2020-09, 2020-12, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-50, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, 2022-06, 2021-28, 2021-31, 2022-06 और 2022-11 को निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 का अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच):

कार्यकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 1 पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद कार्यकारी आदेश 2020-20 को रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (llinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्विसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम):

कार्यकारी आदेश 2020-24 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है और **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2022-04 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 1, 2(a), (d), (f), और (g), 3, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 फिर से जारी किए गए हैं और **28 मई, 2022** तक बढ़ाए गए हैं, इसके बाद कार्यकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 1, 2(a), (d), (f), और (g) 3, और 5 को रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद कार्यकारी आदेश 2020-27 को रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंस)):

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद कार्यकारी आदेश 2020-36 को रद्द कर दिया जाएगा।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):

कार्यकारी आदेश 2021-12 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-12 को निम्नवत संशोधित और पुनरावृत्त किया जाता है:

b. **फ़ेस कवरिंग।** कोई भी व्यक्ति जिसका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है और जो दो साल से अधिक उम्र का है और चिकित्सकीय रूप से चेहरे को ढंकने में सक्षम है (मास्क या कपड़े का फेस कवर) सार्वजनिक स्थान पर होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में अक्षम होने पर अपनी नाक और मुंह को फेस कवर से ढंकना चाहिए।

पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोगों सहित, सभी लोगों को CDC के दिशानिर्देश के अनुसार एक फेस कवरिंग पहनना पड़ेगी, जिसमें शामिल है (1) जहां संघ द्वारा आवश्यक हो ~~विमानों, बसों, ट्रेनों और किसी अन्य प्रकार की सरकारी गाड़ियों में और परिवहन केन्द्रों में जैसे हवाई अड्डों और ट्रेन और बस स्टेशनों पर~~; (2) सामूहिक सुविधा केन्द्रों जैसे सुधार केन्द्रों और बेघर आश्रयों में; और (3) स्वास्थ्य देखभाल ठिकानों में। ~~स्कूलों, डे केयर परिवेश, और शिक्षा संस्थानों में लोगों को इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड फैमिली सर्विसेज, और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी किए गए अलग दिशानिर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।~~

कार्यकारी आदेश 2021-18 (शमन के उपाय):

कार्यकारी आदेश 2021-19, कार्यकारी आदेश 2022-06 और कार्यकारी आदेश 2022-10 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और **28 मई, 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2021-23, कार्यकारी आदेश 2021-27, और कार्यकारी आदेश 2022-01 और कार्यकारी आदेश 2022-05 द्वारा यथा संशोधित 2021-22 के अनुभाग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को **28 मई, 2022** तक फिर से जारी और विस्तारित किया गया है।

कार्यकारी आदेश 2021-28 (डे केयर टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2021-30 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-31 (सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं का निलंबन):

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2022-06 (चेहरा ढांकने की आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2022-11 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2022-06 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2022-11 (चेहरा ढांकने की आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2022-11 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **28 मई 2022** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 29 अप्रैल, 2022
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा अप्रैल 29, 2022 को दायर किया गया